पत्र संख्या - BS3-10806/2009- 943
निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय
(दाखिल करने का प्रमाण – पत्र)

'कौशल्या सेवा सदन सुपौल'

पटना, दिनांक 21/5/2009

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के उपबन्धों के अनुसार यथावत दाखिल/ ~~निबंधित~~/ अभिलेखित किया गया/ किये गये ।

फीस का ज्ञाप 50/– (पचास रुपये) केवल ।

संस्था का स्मृति – पत्र/ नियमावली एवं आम सभा का प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि ।

19.5.09

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन, बिहार

श्री रामलखन साह
सचिव, 'कौशल्या सेवा सदन सुपौल'
ग्राम - नरही, शिवपुरी, पो० - परसौटा, थाना - किशनपुर,
जिला - सुपौल (बिहार)

को सेवा में उनके पत्र संख्या 0 दिनांक 15/04/09
प्रसंग में अग्रसारित ।

निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न है । प्राप्ति की सूचना दें । 19.5.09

वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन, बिहार
आ॰

पटना ।

№ 012023

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 424

वर्ष २००९-१०

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि "कौशल्या सेवा सदन सुपौल"
ग्राम- नरही, शिवपुरी, पो०- थरबीटा, थाना- किशनपुर, जिला-सुपौल (बिहार)

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख उन्नीस मास मई वर्ष दो हजार नौ को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

संस्था निबंधन अधिनियम-21,1860 के अधीन निबंधन विभाग मात्र संस्था का निबंधन करता है। निबंधन को संस्था के वास्तव में कार्यरत होने या ना होने का प्रमाण या वित्तीय सहायता के प्रायोजन हेतु अनुशंसा नहीं माना जाए।

वास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

बि० स० मु० (निबन्धन) 1 —II—10,000—23-9-2004—पी० एन० सिंह

आम सभा का प्रस्ताव

आज दिनांक 08.10.2008 को "कौशल्या सेवा सदन सुपौल" नामक संस्था के अध्यक्ष शिवनन्दन साह की अध्यक्षता में एक आम सभा का आयोजन किया गया।

प्रस्ताव संख्या – 01

इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस संस्था का निबंधन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत करायी जाय ।

प्रस्ताव संख्या – 02

साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि इस संस्था के निबंधन का भार सचिव राम लखन साह पर सौपा जाय ।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद के बाद सभा समाप्ति की विधिवत घोषणा की गई

प्रमाणित किया जाता है कि यह आम-सभा के प्रस्ताव की सच्ची प्रति हैं ।

शिवनन्दन साह
अध्यक्ष

राम लखन साह
सचिव

"कौशल्या सेवा सदन सुपौल"

का

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम :- "कौशल्या सेवा सदन सुपौल"
2. निबंधित कार्यालय :- इस संस्था का निबंधित कार्यालय-- ग्राम-नरही शिवपुरी,पो0-थरवीटा,थाना-किशनपुर,जिला-सुपौल (बिहार) में रहेगा। स्थान परिवर्तन की सूचना संबंधित कार्यालय कोसंबंधित पदाधिकारियों को 15 दिन पूर्व दे दी जाएगी ।
3. कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा ।
4. उद्देश्य :-

- संस्था के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचिज जनजाति, अपसंख्यक तथा पिछड़े वर्गो के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास का समुचित प्रयास तथा उनके उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना।
- संस्था के द्वारा लोगों के शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य करेगी, खासकर गरीब एवं पिछड़े क्षेत्र में वैकल्पिक शिक्षा नवाचारी शिक्षा, व्यस्क शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, रात्रि पाठशाला, श्रमिक बाल विद्यालय, रात्रि पाठशाला आदि का संचालन करना ।
- संस्था के द्वारा शिक्षा के प्रसार-प्रचार हेतु शिक्षण संस्थान का संचालन तथा शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना एवं संचालित करना। मेधावी गरीब छात्रों को प्रोत्साहित करना तथा पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करना ।
- संस्था के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवक/युवतियों को टंकण कला, आशुलिपि, कम्प्युटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, भी0सी0आर0, टेप रिकार्डर तथा अन्य तकनीकी ज्ञान के बारे में प्रशिक्षण देना। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, कशीदाकारी पेन्टिंग, गुड़िया निर्माण, हस्तकला, शिल्प कला, हैण्डीक्रापट, आदि के बारे में जानकारी देना।
- संस्था के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों को चौमुखी विकास हेतु आगंनबाड़ी, बालबाड़ी, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण रोजगार योजनाओं का संचालन करना।
- संस्था के द्वारा समाज के गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक शैक्षणिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना । विभिन्न स्तरों की शिविर, गोष्टि, सम्मेलन का आयोजन करना ।
- संस्था के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा, तकनीकी प्रशिक्षण आदि का संचालन करना एवं टी0वी0, हृदय रोग, आँखो की बिमारी, पोलियो, कैंसर, असाध्य रोग एवं एड्स से बचने के लिए आवश्यक जानकारी एवं दवा उपलब्ध कराना एवं अन्य नई-नई बिमारीयाँ के बचने के लिए प्रचार-प्रसार करना।

(4)

- संस्था के द्वारा दलित, पिछड़े वर्ग के बाल स्वास्थ्य, महिला कल्याण एवं नारी सशक्तिकरण की दिशा में प्रदत्त दायित्व का निर्वाह करते हुए उनकी प्रगति के लिए कार्य करना।
- संस्था के द्वारा आदर्श ग्राम के निर्माण के लिए पर्यावरण की समुचित व्यवस्था करना, गन्दी बस्तियों की सफाई, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, शौचालय एवं स्नानागार की समुचित व्यवस्था करना।
- संस्था के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों के अन्तर्गत परिवार कल्याण की समुचित जानकारी, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं को देना, बढ़ती आबादी के भयानक अंजाम से आम जनता को अवगत कराना, रक्त दान, प्रतिरक्षण, नेत्र चिकित्सा केन्द्र का आयोजन करना, पोलिया उन्मूलन जागरूकता अभियान, टीकाकरण, कैंसर जैसे असाध्य रोगों से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना कुष्ट रोगियों के उपचार एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना।
- संस्था के द्वारा विधवा वृद्धा, गरीब तथा अनाथ बच्चों के लिए आश्रम स्थल, भोजन, मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना शिक्षा की व्यवस्था करना एवं महिला संगठनों का गठन करना ।
- संस्था के द्वारा बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड़ एवं अन्य आकस्मिक आपदाओं में शिविर लगाकर राहत कार्यक्रम संचालित करना ।
- संस्था के द्वारा लोगों को लघु उद्योग, कृषि उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग का प्रशिक्षण, पशुपालन, दुध उत्पादन, घृत मक्खन निर्माण, डेयरी प्रोजेक्ट,, मधुमक्खी पालन, चरखा एवं हस्त उद्योग का संचालन करना।
- संस्था के द्वारा नृत्य कला एवं संगीत, नाट्य तथा ललित कला के प्रचार-प्रसार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- संस्था के द्वारा बेरोजगार युवक/युवतियों को लघु उद्योग पर आधारित कार्यक्रम जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती, दीया-सलाई, सेबई, पापड़, बड़ी, चटनी, बाँस तथा बेत की टोकड़ी, सिक्की मोनी बनाने का प्रशिक्षण देकर लोगों को लाभान्वित करना।

मिलान किया
आशुतोष

5. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा, एवं पद नीचे दिया गया है वर्तमान कार्यकारिणी समिति के सदस्य है जिनपर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भार सौपा गया है :-

क्र0	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद
1.	श्री शिवनन्दन साह पिता-लखन साह	ग्राम+पो0-कुमरगंज, अंचल किसनपुर जिला-सुपौल।	समाजसेवा	अध्यक्ष
2.	श्रीमति भोली देवी पति-रामदेव साह	ग्राम+पो0-नरही शिवपुरी, किशनपुर जिला-सुपौल।	समाजसेवा	उपाध्यक्ष
3.	श्री रामलखन साह पिता-खुशी लाल साह	ग्राम+पो0-किशनपुर, अंचल-किशनपुर जिला-सुपौल।	समाजसेवा	सचिव
4.	श्री तेज नारायण साह श्री मुंगा लाल साह	ग्राम+पो0-अरराहा, किशनपुर जिला-सुपौल ।	समाजसेवा	संयुक्त सचिव
5.	श्री कमलेश सुतीहार पिता- बेचन सुतीहार	ग्राम+पो0-बोराहा, अंचल-किशनपुर जिला-सुपौल	समाजसेवा	कोषाध्यक्ष
6.	श्री गोपालचन्द्र लाहा पिता-स्व0 गणेशचन्द्र लाहा	ग्राम+पो0-हॉसा, नोआबाखर जिला-सुपौल ।	समाजसेवा	सदस्य
7.	श्री रामचन्द्र मंडल पिता-शिवनारायण मंडल	ग्राम+पो0-हॉसा, नोआबाखर जिला-सुपौल ।	समाजसेवा	सदस्य

6. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है वर्तमान में इस संस्था के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी है :-

क्र0	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पेशा	हस्ताक्षर
1.	श्री शिवनन्दन साह पिता-लखन साह	ग्राम+पो0-कुमरगंज,अंचल किसनपुर जिला-सुपौल।	समाजसेवा	शिवनन्दन साह
2.	श्रीमति भोली देवी पति-रामदेव साह	ग्राम+पो0-नरही शिवपुरी,किशनपुर जिला-सुपौल।	समाजसेवा	भोली देवी
3.	श्री रामलखन साह पिता-खुशी लाल साह	ग्राम+पो0-किशनपुर,अंचल-किशनपुर जिला-सुपौल।	समाजसेवा	रामलखन साह रामलखन साह
4.	श्री तेज नारायण साह श्री मुंगा लाल साह	ग्राम+पो0-अरराहा,किशनपुर जिला-सुपौल ।	समाजसेवा	तेजनारायण साह
5.	श्री कमलेश सुतीहार पिता- बेचन सुतीहार	ग्राम+पो0-बोरांहा,अंचल-किशनपुर जिला-सुपौल	समाजसेवा	कमलेश सुतीहार
6.	श्री गोपालचन्द्र लाहा पिता-स्व0 गणेशचन्द्र लाहा	ग्राम+पो0-हॉसा,नोआबाखर जिला-सुपौल ।	समाजसेवा	गोपालचन्द्र लाहा
7.	श्री रामचन्द्र मंडल पिता-शिवनारायण मंडल	ग्राम+पो0-हॉसा,नोआबाखर जिला-सुपौल ।	समाजसेवा	रामचन्द्र मंडल

रामलखन साह
रामलखन साह

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्तियों को मैं जानता एवं पहचानता हूँ। ये मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।

मिलान किया
आशुतोष

NOTARY
J. P. SINHA
PATNA, BIHAR
GOVT. OF BIHAR

ATTESTED
J. P. Sinha
Notery Patna

हस्ताक्षर,
पदनाम, पता एवं मुहर

पदा0

"कौशल्या सेवा सदन सुपौल"

की

नियमावली

1. संस्था का नाम : **"कौशल्या सेवा सदन सुपौल"**

2. परिभाषा:

क) संस्था का अभिप्राय है : "कौशल्या सेवा सदन सुपौल"
ख) समिति से अभिप्राय है : संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
ग) पदाधिकारी का अभिप्राय है : अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,सचिव,संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष
घ) वितीय वर्ष का कार्य है : 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ।
ङ) ऐक्ट से अभिप्राय है : सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860

3. सदस्यता :

प्रत्येक व्यक्ति जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक की हो जो संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का निष्ठा पूर्वक पालन करते हों वे संस्था के सदस्य बन सकते है। सदस्यता ग्रहण करने हेतु उसे विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। संस्था के प्रत्येक सदस्य को 51/- रूपये प्रवेश शुल्क एवं 25/- रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क देना अनिवार्य होगा।

4. सदस्यता से विमुक्ति :-

निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जायेगी

क) स्वयं त्याग पत्र देने पर
ख) पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
ग) न्यायालय द्वारा किसी फौजदारी मुकदमों में सजा पाने पर ।
घ) सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।
ङ) लगातार तीन बैठकों में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर ।
च) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।
छ) संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों के विरूद्ध आचरण करने पर ।

5. कार्यकारिणी समिति का गठन :-

क) कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित कम से कम 7 सदस्यों की होंगे।
ख) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा के द्वारा किया जायेगा ।

ग) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्षो का होगा। सेवा निवृत सदस्य पुनः चुने जा सकते है ।

घ) यदि किसी कारणवश समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर किसी व्यक्ति को मनोनित कर सकती है। किन्तु वार्षिक बैठक में विधिवत चुनाव करा लेना होगा। मनोनित सदस्य उसी पद के अनुरूप कार्य करेंगे जिस पद के लिए उनका मनोनयन किया गया हो ।

6. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

क) संस्था के चल या अचल सम्पति के उत्तरदायी होगा ।

ख) संस्था के सभी कार्यो का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना।

ग) शाखा एवं उप शाखा का गठन करना ।

घ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

ङ) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विचार विमर्श करना ।

च) संस्था के प्रति होने वाली नियंत्रण को बरकरार रखना ।

7. आमसभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।

ख) संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार करना तथा स्वीकृति देना ।

ग) अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

घ) अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना ।

8. बैठक :

क) कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी ।

ख) आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी ।

ग) कार्यकारिणी समति की अत्यावश्यक बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

घ) आम सभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।

9. प्रार्थित बैठक :

एक तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति कर के एक माह के अन्दर सचिव को बैठक बुलाना होगा। आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक नहीं बुलाते है तो आवेदकों को अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय के निर्णय हेतु उक्त अवधि के उपरान्त बैठक का आयोजन कर सकते हैं ।

10. बैठक की सूचना :

क) कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना-7 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ख) आम सभा के साधारण बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी ।

ग) कार्यकारिणी समिति की आवश्यकता बैठक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जाएगी।

घ) बैठक की सूचना डाक पंजी या विशेष दूत द्वारा दी जाएगी ।

इ) आम सभा की आवश्यक बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जाएगी ।

11. पदाधिकारियों का कर्तव्य एवं अधिकार :-

अध्यक्ष :

क) संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।

ख) कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग) किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।

ध) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सारे कार्यो की देख-रेख उपाध्यक्ष करेगें।

सचिव :

क) संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।

ख) बैठक की कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।

ग) प्रत्येक पंजी एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।

घ) संस्था की ओर से पत्राचार करना ।

इ) संस्था के आय-व्यय का अंकेक्षण करना ।

च) कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश कार्यकारिणी सिमति के सलाह पर करना ।

छ) संस्था के हित में कार्य करना ।

ज) आवश्यकता पड़ने पर समिति के पूर्वानुमति के 1000/- रु0 तक व्यय करना ।

झ) उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

संयुक्तसचिवः-सचिव के अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव उनके सारे कार्यो की देख रेख करेगें।

कोषाध्यक्ष :

क) संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा बैठक में प्रस्तुत करना ।

ख) प्रवेश शुल्क सदस्यता शुल्क दान चन्दा प्राप्त कर रसीद देना ।

ग) संस्था के कोष किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।

12. **कोष का संचालन :**

संस्था के कोष का संचालन संस्था के नाम खुले डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा की जायेगी तथा सभी रकम की निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो के संयुक्त हस्ताक्षर की जायेगी ।

13. **कोरम :**

प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का साधारण बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जायेगी ।

14. **आय का साधन :**

क) प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क

ख) सरकारी, गैर-सरकारी दान, अनुदा ,एवं चन्दा

ग) संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से ।

15. **पंजी का निरीक्षण :**

संस्था की सभी पंजिका निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी । जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते है ।

16. **निधि का अंकेक्षण :**

क) संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जायेगा ।

ख) निबंधिन महानिरीक्षक कभी भी अपने विवेक से संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट से करा सकते हैं इस अंकेक्षण हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेंट का शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जायेगा ।

17. **कानूनी कार्रवाई :**

संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता को नियुक्ति समिति की सलाह से की जायेगी ।

18. **नियमावली में संशोधन :-**

नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा ।

19. विघटन :

क) आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जोयगा ।

ख) संस्था के विघटनोपरांत जो चल या अचल संपत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नही बांटी जायेगी बल्कि आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

ग) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 21, 1860 की धारा 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है ।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

बिहार BIHAR

908
11.12-08

B 311729

06 DEC 2008

कोषागार पदाधिकारी
सुपौल

50x1=50/-

बलेन्द्र ना० सिंह
मुद्रांक विक्रेता
वीरपुर स्थल, सुपौल
ला० नं०-191/87